रजिस्टर्ड नं० एल० १८७

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार 18 जनवरी, 1971
पौष 28, 1892 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका विभाग

संख्या 6163(1)/सत्रह—217-70
लखनऊ, 18 जनवरी, 1971

### विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1970 पर दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971)
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है;

(ख) "गुंडा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, या

(2) जो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(3) जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की हो ।

गुंडों का बहिष्कासन इत्यादि

3—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित हैं, या

अधिनियम सं० 104, 1956 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1910।

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन या यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है, और

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या बिलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे हो, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(3) तदुपरांत जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा—

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न न हो जाये ;

(ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित करने का;

(3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है—

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ।

अस्थायी अवधि के लिये वापस लौटने की अनुज्ञा

4—जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है ।

आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी

5—जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

अपील

6—(1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

(2) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा 3 के अधीन हुई जांच यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा।

(3) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

7—(1) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करने, या

(ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभूओं सहित या रहित, बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध ऐसे बन्धपत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता क अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्धपत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) विशेषत : और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की धारा 76 के अनुसार पृष्ठांकित निदेश दिया गया हो, जारी कर सकता है, और उक्त संहिता की धारायें 75 से 92, तक के उपबन्ध जहां तक हो सक, ऐसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बंधन या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है तो उसे उस कालावधि क लिये जिसके लिये उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषध, निर्बंधन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूओं सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश के अनुसार बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की धारायें 120 से 122 तक व 123-क, 124, 126 व 126-क क उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों,

(ग) उक्त संहिता की धारायें 513, 514 व 514-क, इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्धं-पत्रों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगी मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

साक्ष्य की प्रकृति

8—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आदेश का निरसन

9—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा 6 के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

धारा 3 से 6 के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दंड

10—जो व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा ।

बहिष्कासित गुन्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना

11—(1) यदि धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दें हटवा सकता है ।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दें, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त ह और उनके प्रभाव को कम नहीं करते ।

अपराध का संज्ञान

12—कोई मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय—

(क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर; या

(ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि एसा अपराध किया गया है;

संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेशों के संबंध में अपवाद

13—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिय संरक्षण

14—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विविध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन [सम्बद्ध नियमों क] उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन

16—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

No. 6163(1)/XVII—217-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 13, 1971.

# THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS ACT, 1970

(UTTAR PRADESH ACT NO. 8 OF 1971)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*to make special provisions for the Control and Suppression of Goondas with a view to the Maintenance of Public Order*

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

(*a*) "District Magistrate" includes an Additional District Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf ;

(*b*) "Goonda" means a person who—

(i) either by himself or as a member or leader of a gang, habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of, offences punishable under Chapter XVI, Chapter XVII or Chapter XXII of the Indian Penal Code ; or

(ii) has been convicted under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 ; or

(iii) has been convicted not less than thrice under the U. P. Excise Act, 1910 ; or

(iv) is generally reputed to be a person who is desperate and dangerous to the community.

Externment, etc. of Goondas.

3. (1) Where it appears to the District Magistrate—

(*a*) that any person is a Goonda ; and

(*b*) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing, or are calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property ; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged, or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI, Chapter XVII, or Chapter XXII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, or under the U. P. Excise Act, 1910, or in the abetment of any such offence ; and

(*c*) that witnesses are not willing to come forward to give evidence against him by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property—

the District Magistrate shall by notice in writing inform him of the general nature of the material allegations against him in respect of clauses (*a*), (*b*) and (*c*) and give him a reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them.

(2) The person against whom an order under this section is proposed to be made shall have the right to consult and be defended by a counsel of his choice and shall be given a reasonable opportunity of examining himself, if he so desires, and also of examining any other witnesses that he may wish to produce in support of his explanation, unless for reasons to be recorded in writing the District Magistrate is of opinion that the request is made for the purpose of vexation or delay.

(3) Thereupon the District Magistrate on being satisfied that the conditions specified in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of sub-section (1) exist may by order in writing—

(*a*) direct him to remove himself outside the district, or part, as the case may, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order, and to desist from entering the district or the specified part thereof until the expiry of such period not exceeding six months as may be specified in the order ;

(*b*) (i) require such person to notify his movements, or to report himself, or to do both, in such manner, at such time and to such authority or person as may be specified in the order ;

(ii) prohibit or restrict possession or use by him of any such article as may be specified in the order ;

(iii) direct him otherwise to conduct himself in such manner as may be specified in the order,

until the expiry of such period, not exceeding six months as may be specified in the order.

**Permission to return temporarily.**

**4.** The District Magistrate may, by an order, permit any person in respect of whom an order has been made under clause (*a*) of sub-section (3) of section 3 to enter or return, for a temporary period, into or to the area from which he was directed to remove himself, subject to such conditions as the District Magistrate may specify and may at any time rescind any such permission.

**Extension of period of order.**

**5.** The District Magistrate may, after giving, except where for reasons to be recorded in writing he is satisfied that it is impracticable so to do, to the person concerned an opportunity of making a representation in that behalf, extend from time to time in the interest of the general public the period specified in the order made under section 3, but the period so extended shall in no case exceed two years in the aggregate.

**Appeal.**

**6.** (1) Any person aggrieved by an order made under section 3, section 4 or section 5 may appeal to the Commissioner within fifteen days from the date of such order.

(2) The appellant or his counsel shall not be entitled to inspect or to be informed of any record which was not disclosed to him at the inquiry, if any, held under section 3.

(3) The Commissioner may either confirm the order, with or without modification, or set it aside, and may, pending disposal of the appeal, stay the operation of the order subject to such terms, if any, as he thinks fit.

**Recognizance for certain purposes.**

**7.** (1) The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of—

(*a*) securing the attendance of any person against whom an order is proposed to be made under section 3, or has been made but its operation has been stayed under section 6 ; or

(*b*) securing the due observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition specified in an order made in respect of any person under section 3, section 4, section 5 or section 6,—

require such person to enter into a bond, with or without sureties, and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such bond as they apply in relation to bonds executed or required to be executed under the said Code.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions—

(*a*) the District Magistrate while issuing notice to any person under sub-section (1) of section 3 may issue a warrant for his arrest with endorsement thereon of a direction in terms of the provisions of section 76 of the said Code, and the provisions of sections 75 to 92 of the said Code shall, so far as may be, apply in relation to such warrant as if the District Magistrate were a Court

(*b*) if any person who is required to execute a bond for the observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition fails to do so, he shall be committed to prison or, if he is already in prison, be detained in prison until the period for which the direction, requirement, prohibition, restriction or condition is to operate or until within such period he executes the bond with or without sureties, as the case may be, in terms of the order, and the provisions of sections 120 to 122, 123-A, 124, 126 and 126-A of the said Code shall *mutatis mutandis* apply as if the District Magistrate or the Commissioner were a court ;

(*c*) sections 513, 514 and 514-A of the said Code shall *mutatis mutandis* apply in relation to all bonds executed under this section as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court.

Nature of evidence.

8. The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of satisfying himself as to whether the conditions necessary for the making or confirmation of an order under section 3 or section 5 exist or not, take into consideration any evidence which he considers to have probative value, and the provisions of the Indian Evidence Act, 1872, shall not apply.

Rescission of order.

9. The District Magistrate or the Commissioner may at any time rescind an order made under section 3, whether or not such order was confirmed on appeal under section 6.

Punishment for contravention of orders under sections 3 to 6.

10. Whoever contravenes any order made under section 3, section 4, section 5 or section 6 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than six months, and shall also be liable to fine.

Forcible removal of externed Goonda re-entering, etc., in contravention of order.

11. (1) Where, after an order is made against a person under section 3, section 4, section 5 or section 6 such person—

(*a*) has failed to remove himself from the district or part as directed by the order ; or

(*b*) has re-entered the area, from which he was ordered to remove himself during the period of operation of that order,—

the District Magistrate may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside the area specified in the said order as he may direct.

(2) Any police officer may arrest without warrant any person reasonably suspected of an act or omission specified in sub-section (1), and shall forthwith forward the person so arrested to the nearest Magistrate who shall cause him to be forwarded to the District Magistrate, who may thereupon cause the person to be removed in police custody to such place outside the area specified in the said order as he may direct.

(3) The provisions of this section are in addition to and not in derogation of the provisions of section 10.

Cognizance of offence.

12. No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under section 10, except—

(*a*) upon a report in writing of the facts constituting such offence made by a police officer ; or

(*b*) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge or suspicion, that such offence has been committed.

Savings as to orders.

13. No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Protection of action taken under the Act.

14. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.

Power to make rules.

**15.** (1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal. U. P. Ordinance no. 15, 1970.

**16.** The U. P. Control of Goondas Ordinance, 1970 is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०ए०—०पी० 294 गजट (हिन्दी) 1971,—2,035+300+100 (मे०)।